राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर, अलवर)
☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321
Website :- www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक :– रात्रऋभमवि/अलवर/अकादमिक–I/2018/139-155 दिनांक :– 19.05.18

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की षष्टम बैठक दिनांक 18.05.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 18–05–2018 दिन शुक्रवार प्रातः 11:30 बजे होटल लेमन ट्री, शान्ति कुंज, अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रबन्ध मण्डल की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ० भारत सिंह – माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष
2. डॉ0 एम.पी. तिवारी – प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
3. डॉ० केशरी नंदन मिश्र – प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
4. डॉ० बनवारी लाल नाटिया – प्रख्यात शिक्षाविद एवं सदस्य
5. डॉ0 आर.सी. खन्डूरी – प्रतिनिधि (अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा) एवं प्राचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर।
6. श्री आर.सी. अग्रवाल – प्राचार्य एवं सदस्य
7. डॉ0 अखिलेश गुप्ता – प्राचार्य एवं सदस्य
8. डॉ० जी.डी. मेहंदीरत्ता – प्राचार्य, डीन (कॉमर्स संकाय) एवं सदस्य
9. डॉ० हुकम सिंह – उप प्राचार्य, डीन (कला संकाय) एवं सदस्य
10. डॉ0 अनूप सिंह – रजिस्ट्रार एवं सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में रजिस्ट्रार डॉ0 अनूप सिंह ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों का परिचय कराते हुए प्रबन्ध मण्डल सदस्य श्री धर्मपाल चौधरी (माननीय विधायक मुण्डावर, अलवर) के आकस्मिक निधन के बारे में बताया। इसके पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से एजेंडा बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये।

बिन्दु संख्या 01 :– गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

रजिस्ट्रार डॉ0 अनूप सिंह ने गत बैठक दिनांक 26/12/2017 में लिये गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया। उक्त कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 03 में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों (Course) में प्रबन्ध मण्डल ने निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन किया :–

(01) एम.ए. (योग) के बदले एम.पी.एड (योग में विशेषता सहित)
(02) एम.ए. (शिक्षा) के बदले एम.एड
(03) एम.ए. (समाज कार्य –Social Work) के बदले एम.एस.डब्लू (Master of Social Work)
(04) Certificate Course in Computer Accounting के बदले P.G. Diploma in Computer Accounting

Scanned by CamScanner

(05) स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पत्रकारिता) के बदले एम.जे.एम.सी. (Master of Journalism and Mass Commission)

डॉ0 बनवारी लाल नाटिया, डॉ0 अखिलेश गुप्ता, डॉ0 आर.सी. अग्रवाल तथा डॉ0 जी.डी. मेहंदीरत्ता ने उपरोक्त संशोधनो पर अपने विचार रखे। विचार विमर्श के पश्चात गत बैठक दिनांक 26–12–2017 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

<u>बिन्दु संख्या 02 :– अकादमिक परिषद् की आयोजित बैठक (दिनांक 17.04.2018) के कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।</u>

अकादमिक परिषद (Academic Council) की द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण की समस्त टिप्पणियों/पुष्टियों/अनुशंषाओं/सुझावों/संस्तुतियों एवं निर्णयों को प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

उपरोक्त बैठक के एजेंडा 01 (स्नातक द्वितीय वर्ष (पास व ऑनर्स) व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षाओं के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा निर्धारित, अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम) को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया एवं सत्र 2018–19 से इन्हें लागू किये जाने का अनुमोदन किया।

नए पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु क्रमशः दिनांक 8–9 फरवरी 2017 व 13–14 फरवरी 2017 एवं 21.02.2018 व 16.03.2018 को आयोजित अध्ययन मंडल/सिलेबस रिव्यू कमिटी की कार्यशालाओ में विस्तृत विचार–विमर्श कर बोर्ड ऑफ स्टडीज/सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के निम्न विषयों के पाठ्यक्रमो का निर्धारण किया गया :–

1. <u>कला संकाय</u> – राजनीति विज्ञान (पास कोर्स एवं ऑनर्स), भूगोल (पास कोर्स एवं ऑनर्स), लोक प्रशासन, इतिहास (पास कोर्स एवं ऑनर्स), समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामान्य हिन्दी, सामान्य अग्रेजी
2. <u>विज्ञान संकाय</u> – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र (पास कोर्स एवं ऑनर्स), प्राणिविज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गणित (पास कोर्स एवं ऑनर्स)
3. <u>वाणिज्य संकाय</u> – लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST) (पास कोर्स एवं ऑनर्स), व्यवसाय प्रशासन (Bus.Ad.) तथा आर्थिक प्रशासन व वित्तीय प्रबंध (EAFM)
4. <u>ललित कला संकाय</u> – जी.पी.ई.एम., संगीत
5. <u>विधि संकाय</u> – विधि (LL.B. & LL.M., DLL)
6. <u>शिक्षा संकाय</u> – शिक्षा (बी.एड. व एम.एड.)

उपरोक्त संकायों/विषयों के लिए सम्बन्धित अध्ययन मंडल/ सिलेबस रिव्यू कमिटी द्वारा निर्धारित, अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से किया गया एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2018–19 से स्नातक द्वितीय वर्ष (पास कोर्स व ऑनर्स) व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षाओं के लिए इन्हें लागू किये जाने का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया। साथ ही स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा हेतु उपरोक्त विषयों के पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से सत्र 2019–20 से लागू किये जाने का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया।

Scanned by CamScanner

सभी सदस्यों ने आगामी सत्र 2018–19 हेतु स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा के विषयों हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (परीक्षा वर्ष 2019, वार्षिक योजना) लागू किये जाने का अनुमोदन किया। (U/S 49 of RRBMU, Alwar Act 2012)

सम्बन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कुछ विषयों में किये गये संशोधन/परिवर्धन (अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित) को भी प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया एवं लागू करने की अनुशंषा की। पाठ्यक्रम ईकाई विभाजन, प्रश्न पत्र पैटर्न, अंकन प्रणाली में एकरूपता से सम्बन्धित बोर्ड ऑफ स्टडीज की अनुशंषा (अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित) को भी प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा निर्धारित, अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा आगामी सत्र 2018–19 से स्नातक प्रथम वर्ष के लिये लागू किये जाने तथा अन्य कक्षाओं के लिये क्रमशः चरणबद्ध तरीके से उत्तरवर्ती सत्रों से लागू किये जाने का अनुमोदन किया।

पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा निर्धारित, अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम (यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित Six Months' Module on Environmental Studies पर आधारित) को प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से अनुमोदन कर इसे सत्र 2018–19 से लागू किये जाने की अनुशंषा की। इसी क्रम में प्रबन्ध मण्डल ने अकादमिक परिषद् द्वारा पुष्टि किये गये इस तथ्य –"इस नवस्थापित विश्वविद्यालय के पिछले सत्रों–2015–16, 2016–17, 2017–18 में पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य विषय के लिए लागू राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का सिलेबस यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित Six Months' core Module syllabus for Environmental Studies for under graduate courses के अनुरूप है" को अनुमोदित किया।

Diploma of Library and Information Science कोर्स हेतु बोर्ड ऑफ स्टडीज (पुस्तकालय विज्ञान) द्वारा निर्धारित, अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया एवं लागू किये जाने की अनुशंषा की। बोर्ड ऑफ स्टडीज (विधि) द्वारा अनुशंषित तथा अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एलएलएम पार्ट द्वितीय में Torts and Crime Branch, Personal Law Branch सत्र 2017–18 से शुरू किये जाने का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का भी अनुमोदन किया। बोर्ड ऑफ स्टडीज (संगीत) द्वारा अनुशंषित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित संगीत विषय के स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा प्रशिक्षण (Practical Training Camp) आगामी सत्र 2018–19 से लागू किये जाने का प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया।

उपर्युक्त वर्णित विषयों से इतर विषयों/कोर्सों/कक्षाओं (B.B.A., B.C.A., Drawing & Painting, Urdu & Persian, Statistics, Computer Science, French, Bio-Technology आदि) सहित अन्य शेष रहे विषयों/कोर्सों/कक्षाओं के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (सत्र 2018–19, वार्षिक योजना, वेबसाईट www.uniraj.ac.in) यथावत अपनाए जाने का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल ने किया (U/S 49 of RRBMU, Alwar Act 2012)

U.G.C. Guidelines on adoption of Choice Based Credit System पर अकादमिक परिषद् द्वारा की गई टिप्पणी – "चूंकि यह नवस्थापित विश्वविद्यालय है, जहाँ RRBMU,

Scanned by CamScanner

Alwar Act 2012 की धारा 49 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की वार्षिक योजना एवं अंकप्रणाली को यथावत अपनाया गया है, अतः विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना (फैकल्टी, शैक्षणिक विभाग, नियमित स्टाफ, भवन, परिसर) के विकसित हो जाने पर भविष्य में CBCS प्रणाली को लागू किये जाने पर विचार किया जा सकेगा" को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया। यू.जी.सी./राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में योग, आत्मरक्षा, जी. एस.टी., आपदा प्रबन्धन, नैतिक शिक्षा, कौशल उन्नयन, व्यक्तित्व विकास आदि को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने सम्बन्धी अकादमिक परिषद् की अनुशंषा को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया। भूगोल विषय (कला एवं विज्ञान) में अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित प्रश्न पत्र पैटर्न एवं अंकन प्रणाली की एकरूपता को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया। मनोविज्ञान को विज्ञान संकाय के साथ शामिल किये जाने हेतु अकादमिक परिषद द्वारा की गई अनुशंषा को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया।

परिषद की बैठक के <u>एजेंडा 02</u> (विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल) को प्रबन्ध मण्डल ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

उक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्तमान में आरक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं The Rajasthan Universities Teachers and Officers Selection for Appointement Act. के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा 05 विषयों के शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु विषय विशेषज्ञो के चयन हेतु गठित समिति को विषय विशेषज्ञों के भेजे जाने वाले अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से तय किये गये व अनुशंषित नाम/पैनल प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित किए गये।

परिषद की बैठक के <u>एजेंडा 03</u> (04 वर्षीय Integrated Course B.Sc., B.Ed. & B.A., B.Ed. हेतु पाठ्यक्रम) को सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में शैक्षणिक सत्र 2017–18 से संचालित 04 वर्षीय Integrated Course B.Sc., B.Ed. & B.A., B.Ed. हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की उक्त कोर्स के लिये निर्धारित Scheme (वार्षिक योजना) (वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध) तथा राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा जारी स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम (परीक्षा वर्ष 2018) (वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध) व जिन विषयों/पेपरों/कक्षाओं के लिये राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर ने पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, उनके लिये आवश्यकतानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम (वार्षिक योजना) को लागू किए जाने सम्बन्धी अकादमिक परिषद् की अनुशंषा को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया। साथ ही आगामी सत्रों में उक्त कोर्स की विभिन्न कक्षाओं में उपरोक्तानुसार ही (आवश्यकता पड़ने पर अन्य विश्वविद्यालयों के भी) संबंधित परीक्षा वर्ष हेतु निर्धारित स्कीम एवं पाठ्यक्रम रखे जाने का अनुमोदन सभी सदस्यों ने किया।

परिषद की बैठक के <u>एजेंडा 04</u> (परीक्षकों के पैनल सत्र 2017 – 18) एवं एजेंडा 05 (स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों (Courses under self finance scheme) के संचालन व तत्संबंधी सिलेबस) को सभी सदस्यों ने अनुमोदित किया।

विश्वविद्यालय द्वारा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत छः विषयों 1.एम.पी.एड (योग में विशेषज्ञता सहित (Master of Physical Education) 2. एम.एस. डब्ल्यू (Master of Social

Scanned by CamScanner

Work) 3. एम.जे.एम.सी. (Master of Journalism & Mass Communication) 4. एम. ए. (दर्शनशास्त्र) 5. एम.ए. (लोकप्रशासन) 6. एम.एड (Master of Education) के लिए कोर्स संचालन हेतु प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया। उक्त पाठ्यक्रमों को वार्षिक पद्धति पर संचालित किये जाने की अकादमिक परिषद् की अनुशंषा को सभी सदस्यों ने अनुमोदित किया। उक्त कोर्सों के लिए सिलेबस राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा सम्बन्धित कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार रखे जाने हेतु अकादमिक परिषद् की अनुशंषा को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदन किया। उपरोक्त में से जिन विषयों के लिए इस विश्वविद्यालय ने वर्तमान में कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, उनके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर या अन्य विश्वविद्यालय का उक्त कोर्स हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किये जाने का अनुमोदन भी सदस्यों ने सर्वसम्मति से किया।

परिषद की बैठक में डॉ० रितु गुप्ता, संयोजक अध्ययन बोर्ड (जी.पी.ई.एम.) द्वारा जी.पी. ई.एम. विषय में विश्वविद्यालय स्तर पर एसएफएस कोर्स संचालित किये जाने के सुझाव पर प्रबन्ध मण्डल की बैठक में चर्चा हुई। उक्त कोर्स के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर डॉ0 एम.पी. तिवारी, श्री आर.सी. अग्रवाल, डॉ0 अखिलेश गुप्ता, डॉ0 आर.सी. खन्डूरी, डॉ0 हुकम सिंह, डॉ0 बनवारी लाल नाटिया ने अपने विचार रखे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त कोर्स के संचालन के लिये डॉ0 रितु गुप्ता को उत्तरदायित्व सौपा जाये, जो इस कोर्स हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा, फैकल्टी, वित्तीयभार, नियम एवं शर्तों के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेंगी।

परिषद की बैठक के <u>एजेंडा 06</u> (एम.फिल उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क से छूट) को प्रबन्ध मण्डल ने अनुमोदित किया। अकादमिक परिषद् की अनुशंषा– "जिन अभ्यर्थियों ने किसी केंद्रीय/राज्य या अन्य समकक्ष विश्वविद्यालय से यू.जी.सी. विनियम 2009 (या उसके बाद) के अंतर्गत एम.फिल. उपाधि प्राप्त की है और/या प्री पीएच. डी. कोर्सवर्क को पूरा कर लिया है उन्हें कोर्सवर्क पूरा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्री पीएच.डी. कोर्सवर्क से छूट दी जा सकती है" को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

<u>बिन्दु संख्या 03</u> :– <u>निरीक्षण मण्डल की आयोजित बैठक (दिनांक 12.04.2018) के कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।</u>

<u>निर्णय :–</u> निरीक्षण मण्डल के निम्नांकित निर्णयों (एजेन्डा न. 01 से एजेन्डा न. 04 तक) को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया –

<u>एजेन्डा न. 01</u> :– निरीक्षकों के पैनल का अनुमोदन

<u>एजेन्डा न. 02</u> :– सत्र 2018–19 के लिये पूर्व में संचालित अकादमिक, निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों की सम्बद्धता के विस्तार का अनुमोदन।

<u>एजेन्डा न. 03</u> :– सत्र 2018–19 में नये महाविद्यालय, नये विषय, नये कोर्स, Seat Increase/Intake इत्यादि के निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की नियुक्ति।

<u>एजेन्डा न. 04</u> :– विधि, बी.एड एवं चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स का निरीक्षण करवाये जाने का निर्णय।

Scanned by CamScanner

बिन्दु संख्या 04 :— वित्त समिति की आयोजित बैठक (दिनांक 20.04.2018) के कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय :— वित्त समिति के निम्नांकित निर्णयों (बिन्दु संख्या 01 से एजेन्डा बिन्दु संख्या 04) का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :—

एजेन्डा बिन्दु संख्या 01 :— गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

एजेन्डा बिन्दु संख्या 02 :— वित्तीय वर्ष 2017—18 में राज्य सरकार से आवंटित/प्राप्त बजट/अनुदान पेटे व्यय राशि का अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय निधि में प्राप्त राशि एवं व्यय का अनुमोदन।

एजेन्डा बिन्दु संख्या 03 :— विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित अनुबन्धों (परीक्षा आई.टी. व नॉन आई.टी. कार्य हेतु निविदा, परीक्षा 2018 के लिये उत्तर पुस्तिकाओं का अनुबन्ध, वाहन व्यवस्था हेतु अनुबन्ध, सेलर किराये का अनुबन्ध, परीक्षा समिति व वित्त नियत्रंक के लिये वाहन का अनुबन्ध) का अनुमोदन।

एजेन्डा बिन्दु संख्या 04 :— दिनांक 31/03/2018 को विश्वविद्यालय निधि एवं संचालित खातों की स्थिति का अनुमोदन।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वित्त नियंत्रक श्री रोहताश सिंह यादव ने वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण को प्रस्तुत किया एवं डॉ0 जी.डी. मेहंदीरत्ता, डॉ0 हुकम सिंह द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई। डॉ0 अखिलेश गुप्ता, श्री आर.सी. अग्रवाल, डॉ0 एम.पी. तिवारी ने सुझाव दिया की आई.टी. कम्पनी को समय से यथाशीघ्र कार्य निष्पादित करने हेतु पाबन्द किया जाये ताकि विश्वविद्यालय के कार्य में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो। डॉ0 जी.डी. मेहंदीरत्ता ने सुझाव दिया की शिक्षक कल्याण कोष एवं शिक्षक सदन कोष की राशि को बचत खाते में जमा न करके, इस राशि को एफ.डी.आर. में जमा कराई जाए। उन्होने यह भी सुझाव दिया की स्पोट्र्स शुल्क से होने वाली आय को भी वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्शाया जाना चाहिए। प्रबन्ध मण्डल ने इस पर सहमति व्यक्त की।

बिन्दु संख्या 05 :— 5 विषयों के लिए स्वीकृत शैक्षणिक विभागों के सत्र 2018—19 से संचालन, प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटो की संख्या एवं शुल्क आदि का निर्धारण करना।

निर्णय :— राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.14 (30) शिक्षा —4/2012 जयपुर दिनांक 20.11.2017 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के ग्रुप 4 द्वारा स्वीकृत पांच शैक्षणिक विभागों (इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, गणित और राजनीति विज्ञान) में शैक्षणिक कार्य सत्र 2018—19 से आरम्भ किये जाने का सदस्यों ने अनुमोदन किया। उपर्युक्त विभागों में प्रथम चरण में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा प्रत्येक विषय में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रवेश शुल्क राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2018—19 के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार लिये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय के अपने भवन के अभाव में ये कक्षाएं सायंकालीन पारी में राजकीय विधि महाविद्यालय एवं बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में संचालित किये जाने का अनुमोदन भी किया गया।

Scanned by CamScanner

बिन्दु संख्या 06 :— स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस.) के अन्तर्गत स्वीकृत 6 पाठ्यक्रमों का सत्र 2018—19 से संचालन, प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटो की संख्या, फीस का निर्धारण, गेस्ट फैकल्टी का मानदेय एवं अन्य व्यय पर निर्णय करना।

निर्णय :— राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक : प. 14 (30) शिक्षा —4/2012 जयपुर दिनांक 19.04.2018 द्वारा स्वीकृत स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस.) के अन्तर्गत 6 पाठ्यक्रमों— एम.पी.एड. शिक्षा (योग मे विशेषता सहित) एम.एस.डब्ल्यू. एम.जे.एम.सी. एम.ए. (दर्शनशास्त्र) एम.ए. (लोक प्रशासन) और एम.एड. में शैक्षणिक कार्य सत्र 2018—19 से आरम्भ किये जाने तथा उक्त विभागों में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या कम से कम 20 रखे जाने का अनुमोदन सभी सदस्यों ने किया। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश—नियम एवं आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जायेगा। उक्त पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्धारित शुल्क प्रति सत्र 15 से 20 हजार रू. निर्धारित किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल ने किया। विश्वविद्यालय के अपने भवन के अभाव में ये कक्षाएं राजकीय विधि महाविद्यालय एवं बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर में सायंकालीन पारी में संचालित किये जाने का अनुमोदन भी सभी सदस्यों ने किया। गेस्ट फैकल्टी व प्री.पीएच.डी कोर्स वर्क में पढ़ाने वाले व्याख्याताओं के मानदेय के मुद्दे पर डॉ0 अखिलेश गुप्ता, श्री आर.सी. अग्रवाल, डॉ0 आर.सी. खन्डूरी, डॉ0 बनवारी लाल नाटिया ने अपने विचार रखे। प्रबन्ध मण्डल ने गेस्ट फैकल्टी/व्याख्याताओं का मानदेय 750 रू. प्रति कालांश रखे जाने का निर्णय लिया। अन्य व्यय का निर्धारण राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रचलित दरों के आधार पर किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल ने किया। डॉ0 अखिलेश गुप्ता, डॉ0 बनवारी लाल नाटिया, श्री आर. सी. अग्रवाल ने उपरोक्त कोर्स के संचालन को उपयोगी बताया।

बिन्दु संख्या 07 :— वर्ष 2016 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित पारिश्रमिक सीमा 50 हजार रूपये से 65 हजार रूपये की अभिवृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :— वर्ष 2016 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित पारिश्रमिक सीमा 50 हजार रूपये से बढाकर 65 हजार रूपये किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। परीक्षा 2017 के लिये उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक सीमा रूपये 1,00,000/— (राजस्थान विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक परीक्षा गोपनीय/2017/3226 दिनांक 04.05.2017 द्वारा निर्धारित एवं सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ.1(38)आरबी/2015/6462 दिंनाक 21.08.2017 द्वारा स्वीकृत) किये जाने का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया।

बिन्दु संख्या 08 :— अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

टेबल एजेन्डा :— 1. Unfairmeans & Disorderly Counduct के मामलों पर निर्णय किये जाने हेतु समिति का गठन।

निर्णय :— परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तावित Unfairmeans & Disorderly Counduct के मामलों पर निर्णय किये जाने हेतु समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने विचार विमर्श करके सम्बन्धित समिति के गठन के लिये माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

टेबल एजेन्डा :— 2. विश्वविद्यालय के नियम/विनियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस का निर्माण

Scanned by CamScanner

निर्णय :– डॉ0 बनवारी लाल नाटिया, संयोजक, नियम/विनियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस निर्माण समिति ने यह अवगत कराया कि राजभवन/राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के लिये नियम/विनियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस के कॉमन रूल्स तैयार किये जा रहे हैं। डॉ0 नाटिया ने यह कहा कि कॉमन रूल्स के बन जाने के पश्चात इनका विधिवत अध्ययन कर इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप नियम/विनियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस बनाया जाना उचित होगा।

टेबल एजेन्डा :– 3. सम्बद्ध महाविद्यालयों में औचक निरीक्षण।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल सदस्यों ने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार स्थित बी.एड कॉलेजों सहित सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में समय समय पर औचक निरीक्षण किये जाने का सुझाव दिया, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता की और अधिक उत्तरोत्तर अभिवृद्धि सुनिश्चित हो सके।

टेबल एजेन्डा :– 4. विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों हेतु Sub Centre राशि का भुगतान।

डॉ0 आर.सी.खन्डूरी, डॉ0 अखिलेश गुप्ता एवं श्री आर.सी. अग्रवाल ने विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों के Sub Centre हेतु आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्रों को Sub Centre चार्ज दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

टेबल एजेन्डा :– 5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में वीक्षकों के लिये पारिश्रमिक का निर्धारण।

कुलसचिव डॉ0 अनूप सिंह, श्री आर.सी. अग्रवाल तथा डॉ0 बनवारी लाल नाटिया ने इस बारे में अपने विचार रखे। इनका सुझाव था कि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश व भर्ती सम्बन्धी ऑफलाईन प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक दरों के अनुसार ही इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश व भर्ती सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं में मानदेय व पारिश्रमिक दरें रखना उचित होगा। सदस्यों का विचार था कि इस हेतु प्री.बी.एस.टी.सी. या प्री बी.एड. (PTET) परीक्षा में देय मानदेय या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना तर्कसंगत होगा।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश व भर्ती सम्बन्धी प्रतियोगी परीक्षाओं में वीक्षकों के लिये पारिश्रमिक राशि प्रति सत्र रूपये 650/– प्रति वीक्षक निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

टेबल एजेन्डा :– 6 विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को वायुयान/टैक्सी/निजी वाहन/रेल (वातानुकूलित प्रथम श्रेणी) में यात्रा का अनुमोदन।

निर्णय :– विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग लेने आने–जाने वाले सदस्यों को वायुयान/टैक्सी/निजी वाहन/रेल (वातानुकूलित प्रथम श्रेणी) में इस हेतु यात्रा करने का सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

अन्त में माननीय कुलपति महोदय ने सदस्यों के निरन्तर रचनात्मक सहयोग से विश्वविद्यालय की बहुमुखी प्रगति की चर्चा करते हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक के अन्त में प्रबन्ध मण्डल के दिवंगत सदस्य श्री धर्मपाल चौधरी जी के लिए श्रद्धांजलिस्वरूप दो मिनट का मौन रखा गया।

19/05/2018

कुल सचिव | कुलपति

कुलसचिव

...ा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय

अलवर (राज0)

DDO Code No 28380

कुलपति

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय

अलवर

Scanned by CamScanner